झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांकः–13/आर0–01–36/12 (खण्ड–1) 48(13) दिनांकः– 10/03/2025

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह (भा0प्र0से0),
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड।

विषयः–दिनांक–01.03.2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–13(13) दिनांक–24.01.2025 के आलोक में राज्य में कार्यरत कर्मियों हेतु राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक–01.03.2025 से लागू है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चयनित बीमा कम्पनी के द्वारा सामान्य मामले में 05 लाख रूपये तक एवं गंभीर बीमारी के मामले में 10 लाख रूपये तक की अधिसीमा तक बीमा प्रदान किया जायेगा, उक्त अधिसीमा के अतिरिक्त चिकित्सा पर होने वाले व्यय का वहन Trust Mode में झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (JSAS) द्वारा किया जायेगा।

विदित हो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पूर्व संकल्प–354(10) दिनांक–15.09.2006 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का वहन राज्य कर्मियों के स्थापना शीर्ष से किये जाने का प्रावधान था।

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के दिनांक–01.03.2025 से लागू हो जाने के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी पूर्व में निर्गत संकल्प–354(10) दिनांक–15.04.2006 के प्रावधानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का वहन राज्य कर्मियों के स्थापना शीर्ष से किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक–01.03.2025 के पश्चात् राज्य कर्मियों के चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्थापना शीर्ष से नहीं किया जाय। दिनांक–01.03.2025 से पूर्व की चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प–354(10) दिनांक–15.09.2006, 753(06) दिनांक–25.10.2014 एवं अनुवर्ती पत्रों के आलोक में पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–13/आर0–01–36/12 (खण्ड–1) 48(13) दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव